Additional Allocation of Fund for Development of Coal Mines

3615. SHRI A.C. DAS : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether some additional allocation have been made by Goverment for the development of coal mines;

(b) if so, the amount allocated additionally during the Sixth Plan for implememing the development scheme;

(c) the amount proposed to be spent out of that additional allocation in 1983-84 for the development of coal mines;

(d) the names of the coal mines proposed to be brought under the development programme under the additional funds allocated ; and

(e) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF COAL IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI DALBIR SINGH) : (a) to (e) The Planning Commission have recently agreed to make available an additional amount of Rs. 140 crores for Coal India during the current year 1983-84.

Out of Rs. 140 crores, Rs. 127 crores have been allocated by the Planning Commission for the development of the following 22 Coal mining/washery projects.

1. Bharatpur
2. Bharatpur washery
3. Jagannath
4. South Balanda
5. Dudichua
6. Khadia
7. Nigahi
8. Kalinga
9. Madhuband washery
10. Pootkee-Balihari
11. Bansdeopur O.C.P.
12. Damodar O.C.P.
13. Muraidih Expn.
14. Mukunda Advance Action
15. Lajkura II
16. Saoner U.G.
17. Ghugus OCP
18. Amlai OCP
19. Dipka OCP
20. Padampur/Motaghat
21. Tawa U.G.
22. Sonepur Bazari OCP.

फिल्म सेन्सर बोर्ड की फिल्म सेन्सर नीति

3616. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिनेमा घरों पर दिखाई जाने वाली फिल्में फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा अनुमोदित होती है ;

(ख) यदि हां, तो फिल्मों को अनुमति देने के लिए बनाए गए सेन्सर बोर्ड की नीति की विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि फिल्मों में अधिकतर तस्करी, कत्ल, डाके और बलात्कार के दृश्य दिखाए जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की बुराई को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारत में लोक प्रदर्शन के लिए अभिप्रेत सभी फिल्मों की जांच फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों और तदन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार की जाती है। मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एलo टीo 6886/83)

(ग) और (घ) प्रमाणीकरण के लिए जो फिल्में प्रस्तुत की जाती हैं उनमें तस्करी, कत्ल, डकैती, बलात्कार, आदि के दृश्य भी होते हैं। तथापि, सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत, प्रमाणीकरण के लिए फिल्मों की जांच करते समय, बोर्ड, अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करता है कि (1) हिंसा जैसी समाज-विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहरायी जाएं (2) अपराधियों या अन्य दृश्यों या शब्दों की ऐसी कार्यप्रणाली, जिससे किसी अपराध का करना उदीप्त होने की सम्भावना हो, चित्रित न की जाए ? (3) हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य न दिखाए जाएं और (4) अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता द्वारा मानविक संवेदनशीलता क्षुब्ध न की जाए। जिन फिल्मों को अवयस्कों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता, उनमें से आपत्तिजनक सामग्री, यदि कोई हो, को निकालने के बाद 'ए' प्रमाण पत्र दिया जाता है। जब कोई फिल्म काट-छांट के बाद भी वयस्कों के लिए प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त समझी जाती है तो उस फिल्म को प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दिया जाता है। 1982 के दौरान, प्रमाणीकृत कुल 763 भारतीय फीचर फिल्मों में से 257 फिल्मों को 'ए' प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था और प्रमाणीकृत 174 विदेशी फीचर फिल्मों में से 68 फिल्मों को 'ए' प्रमाणपत्र प्रदान किए गए थे। 1982 के दौरान फिल्मों के प्रमाणीकरण से पहले उनमें से कुल 29,755 मीटर लम्बाई के अंश निकाले गए थे।

बस्तर, मध्य प्रदेश में रेडियो की आवाज कम सुनाई देना

3617. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी केन्द्र, जगदलपुर में ट्रांसमीटर की शक्ति कम होने के कारण मध्य प्रदेश में बस्तर में रेडियो की आवाज बहुत कम सुनाई देती है ;

(ख) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी केन्द्र, जगदलपुर में एक और ट्रांसमीटर स्थापित करने का है या वहां की प्रसारण आवृत्ति बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार कब तक वहां एक और ट्रांसमीटर लगाने और प्रसारण आवृत्ति बढ़ाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आकाशवाणी के जगदलपुर केन्द्र में एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर है जो बस्तर के पूर्वी भाग में, जिसके अन्दर जिले की लगभग 43 प्रतिशत जनसंख्या आती है, दिवा-कालीन मीडियम वेव प्रसारण उपलब्ध करता है। बाधक बात यह है कि जिले का मुख्य भाग पहाड़ी और घने वनों के साथ चट्टानी है। तथापि, समूचे बस्तर जिले को भोपाल केन्द्र से द्वितीय ग्रेड की सहायक सेवा उपलब्ध हो रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।